रघुनाथ बनाम सत्यनारायण वगै0

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या ... 17/589

28.03.2018	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता को अवमानना प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के प्रकरण संख्या 59/16 में दिनांक 01.06.2017 को शिविर स्थल अटल सेवा केन्द्र मानस गॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा में उक्त प्रकरण का निर्णय कर दावा स्वीकार किया गया था और ग्राम मानसगॉव की आराजी खसरा नम्बर 1057 व 1065 रकबा 4.08 हैक्टर में से रघुनाथ का नाम डिलिट किया जाकर सत्यानारायण, बद्रीलाल पुत्रान भंवर लाल को 5/9 हिस्से का तथा राधेश्याम पुत्र भंवर लाल को 4/9 हिस्से का खातेदार घोषित करने तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलम दरामद किये जाने का निर्णय एंव डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.06.2017 की अपील न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत कर दी जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति आगामी तारीख पेशी दिनाक 18.09.2017 तक बनाये रखने का आदेश पारित किया । उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को दे दी थी बावजूद इसके तहसीलदार ने अप्रार्थीगण के मिली भगत करके माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 01.08.2017 की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी कम 4 से 7 ने अप्रार्थी कम 1 से 3 के नाम डिक्री की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1077 दिनांक 11.08.2017 को तस्दीक कर दिया जबकि अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी थी । अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करने पर अप्रार्थीगण को सख्त सजा फरमाई जावे । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश की प्रति अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, लाडपुरा को दिनांक 04.08.2017 को प्रस्तुत की गई थी । तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा उक्त स्थगन की प्रति कमांक 8461 दिनांक 11.08.2017 से पटवारी हल्का को दी गई । उक्त स्थगन की प्रति प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 09.08.2017 को पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में इंतकाल दर्ज कर दिया गया था जो दिनाक 11.08.2017 को आईएलआर द्वारा जॉच करने के उपरानत दिनांक 11.08.2017 को ही नायब तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया । यह तथ्य संज्ञान में आने के उपरानत कि तहसील को स्थगन प्राप्त होने के उपरान्त इंतकाल स्वीकृत हुआ है । तहसील कार्यालय के पत्रांक 11328–30 दिनांक 27.11.2017 द्वारा नपायब तहसीलदार, आईएलआर व पटवारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया । नायब तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 27.11.2017 को ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 (2) के पुनरावलोकन कर स्वीकृत इंतकाल नम्बर 1077 निरसत कर

दिया गया । इस प्रकार स्वीकृत इंतकाल निरस्त कर स्थगन पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई है । पत्र समय से पटवारी, आईएलआर, नायब तहसीलदार को नहीं मिल पाने से इंताकल स्वीकृत हो गया था इस त्रुटि को दुरूस्त कर दिया गया है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पक्षकारान के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2017 की प्रति अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, लाडपुरा को दिनांक 04.08.2017 को प्रस्तुत की गई थी । तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा उक्त स्थगन की प्रति क्रमांक 8461 दिनांक 11.08.2017 से पटवारी हल्का को दी गई । उक्त स्थगन की प्रति प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 09.08.2017 को पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में इंतकाल दर्ज कर दिया गया था जो दिनाक 11.08.2017 को आईएलआर द्वारा जॉच करने के उपरानत दिनांक 11.08.2017 को ही नायब तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया । यह तथ्य संज्ञान में आने के उपरानत कि तहसील को स्थगन प्राप्त होने के उपरान्त इंतकाल स्वीकृत हुआ है । तहसील कार्यालय के पत्रांक 11328–30 दिनांक 27.11.2017 द्वारा नपायब तहसीलदार, आईएलआर व पटवारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया । नायब तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 27.11.2017 को ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 (2) के पुनरावलोकन कर स्वीकृत इंतकाल नम्बर 1077 निरसत कर दिया गया । इस प्रकार स्वीकृत इंतकाल निरस्त कर स्थगन पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई है । पत्र समय से पटवारी, आईएलआर, नायब तहसीलदार को नहीं मिल पाने से इंताकल स्वीकृत हो गया था इस त्रुटि को दुरूस्त कर दिया गया है । इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की किसी प्रकार से अवहेलना होना साबित नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा